राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 439/2025

सुमन कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.02.2025
आदेश की दिनांक : 11.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री गजेंद्र सिंह चौहान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसवाड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान मे नर्सिंग अधिकारी के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पीएचसी पीपली ब्लॉक पिलानी से उप जिला चिकित्सालय श्री डूंगरपुर, बीकानेर रितु के स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का पति Bicateral Emphtsema रोग से पीड़ित तथा 40 प्रतिशत दिव्यांग है (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी मस्तिक की न्यूरो समस्या से ग्रसित है (अनुलग्नक–3)। ऐसे में अपीलार्थी को दूरस्थ स्थानांतरण किए जाने से विभिन्न समस्याओं से सामना करना पडेगा। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी को बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता से स्थानांतरित किया गया है, जो गलत है। अतः

अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए प्रत्यर्थीगण को नोटिसेज जारी किये जावें।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का पति Bicateral Emphtsema रोग से पीड़ित तथा 40 प्रतिशत दिव्यांग है और अपीलार्थी मस्तिक की न्यूरो समस्या से ग्रसित है।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य